

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण कं०

रिष्ट २९१५- I/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री...
द्वारा प्रस्तुत 02-8-2014
दिनांक.....
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1. शंभुलाल पिता सूरजमल शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच
2. दिनेश पिता बंशीलालजी शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
3. कमलेश पिता बंशीलालजी शर्मा, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच
4. सीमादेवी पति बंशीलालजी शर्मा, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच
5. सागरमल पिता सूरजमल शर्मा, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
6. महादेव पिता लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
7. गणेश पिता लक्ष्मीलाल शर्मा, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
8. प्रेमबाई पति लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
9. कैलाश पिता सूरजमल शर्मा, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच
10. उमराबाई पिता सूरजमल शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमच.
11. कंचनबाई पिता सूरजमल, निवासी- नयागांव तह० जावद जिला नीमचआवेदकगण

विरुद्ध

राजकुंवरबाई पिता सूरजमल जी पति स्वर्गीय श्री देवीलालजी शर्मा निवासी- नयागांव तह. जावद हालमुकाम- उज्जैन द्वारा मु०आ.खास सागरमल पिता बंसतीलालजी शर्मा निवासी- नयागांव तह० जावद नीमचअनावेदक

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (श्री मनोज गोयल साहब, प्रशासकीय सदस्य) द्वारा निगरानी प्रकरण क्र आर/2740/I/2012-2013 नीमच मे दिनांक 02.07.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध


निरंतर...2.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2915-एक/2014

जिला नीमच

आदेश दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदेशों एवं आदेशों के हस्ताक्षर
08-11-16	<p>आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2740-एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2014 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-</p> <p>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी।</p> <p>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।</p> <p>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।</p> <p>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हों।</p>	<p> अध्यक्ष</p>